संख्या-विधि-4(2)/बिल्डर्स समाधान योजना (72) /2015-16/ 273/1617009 /वाणिज्य कर

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 11 मई , 2016

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्म/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

विषय : **शासनादेश संख्या 390/ग्यारह-2-2016-9(17)/13 दिनांक 17.03.2016 द्वारा प्रदेश के बिल्डरों के लिए समाधान योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश।**

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 17.03.2016 से प्रदेश के बिल्डरों हेतु कर निर्धारण वर्ष 2012-13 व उसके आगे के वर्षो के लिए देय कर के विकल्प के रुप में एकमुश्त धनराशि लागू की गयी थी तथा उक्त योजना के प्रस्तर संख्या-XIII में क्रियान्वयन के संबंध में समय समय पर यथोचित निर्देश जारी किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रश्नगत योजना मुख्यालय के परिपत्र संख्या वैट-विधि-4(2)/पत्रा0सं0-7/भाग-1/(2015-16)/2969/कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1516077/वाणिज्य कर दिनांक 18.03.2016 द्वारा परिपत्रित की गयी थी 1 प्रश्नगत योजना के संबंध में Real State Developer's Association of India Uttar Pradesh एवं अन्य कतिपय संगठनों द्वारा विभिन्न जिज्ञासाएं की गयी है जिनके संबंध में निम्नवत् दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं :-

1- समाधान योजना अपनाने वाले बिल्डरों को विकल्प प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तिथि को चल रहे समस्त प्रोजेक्ट के लिए समाधान योजना अनिवार्य रुप से अपनानी होगी किन्तु पूर्व के वर्षो में यदि उस वर्ष के लिए कर निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके हों, तो उस वर्ष के लिए समाधान योजना का लाभ अनुमन्य न होगा। इसके साथ ही यदि पूर्व के वर्ष 2012-13 अथवा उसके उपरान्त के वर्षो की कर निर्धारण की कार्यवाही अभी लम्बित है तो उन वर्षो हेतु समाधान योजना अपनाने अथवा न अपनाने का बिकल्प बिल्डर्स को उपलब्ध है। समाधान योजना का विकल्प, जिस वर्ष से लिया जाता है , उस वर्ष में चल रहे समस्त प्रोजेक्ट तथा उसके उपरान्त आरम्भ किये गये समस्त प्रोजेक्ट के लिए समाधान योजना लिया जाना अनिवार्य होगा।

2- समाधान योजना के प्रस्तर-1 के अनुसार जिन बिल्डरों द्वारा प्रान्त के अन्दर माल की खरीद करके उसका प्रयोग करते हुए निर्माण किये जा रहे भवन/फ्लैट्स का अन्तरण किया जाता है तो 1 प्रतिशत की दर से तथा प्रान्त के अन्दर प्रदेश के बाहर से प्रदेश में माल आयात करके उसके प्रयोग करते हुए प्रदेश में निमार्ण किये जा रहे भवन/फ्लैट्स का अन्तरण करने पर 3 प्रतिशत की दर से समाधन राशि देय है। स्पष्टत: प्रान्त बाहर से माल आयात करने और उसका अन्तरण किये जाने पर समाधान राशि 3 प्रतिशत की दर से देय होगी। अन्तरित न किये जाने वाले माल की खरीद प्रान्त बाहर से किये जाने की स्थिति में 1 प्रतिशत की दर से ही समाधान राशि देय होगी।

3- योजना के प्रस्तर-1 में समाधान राशि की देयता हेतु अनुबन्ध में उल्लिखित सकल धनराशि अथवा अनुबन्ध के संबंध में Indian Stamp Act, 1899 के अधीन देय स्टैम्प ड्यूटी हेतु अवधारित मूल्य, जो भी

अधिक हो, पर 1 प्रतिशत या 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना करने का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधान से स्वत: स्पष्ट है कि अनुबन्ध की तिथि को Indian Stamp Act, 1899 के अधीन देय स्टैम्प ड्यूटी हेतु अवधारित मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधार पर समाधान राशि की गणना की जायेगी।

4- समाधान योजना को जिस वर्ष से अपनाये जाने का विकल्प लिया जाता है, उस वर्ष में चल रहे सभी प्रोजेक्ट पर समाधान योजना लागू होगी किन्तु यदि वे प्रोजेक्ट समाधन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व से चल रहे हैं और उनके नियमित कर निर्धारण आदेश पारित किये जा चुके हैं अथवा यदि लागू होने के पूर्व वर्षो के लिए कर निर्धारण की कार्यवाही लम्बित है एवं पूर्व वर्षो हेतु समाधान योजना का विकल्प नहीं लिया गया है तो इन पूर्व के वर्षो में प्राप्त अनुबन्ध से संबंधित राशि /अन्तरित माल के संबंध में नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुबन्ध से संबंधित समाधान योजना अपनाने वाले वर्ष में प्राप्त धनराशि पर ही समाधान राशि देय होगी।

5- समाधान योजना लागू होने की तिथि अथवा पूर्ववर्ती वर्ष , जिसके लिए समाधान योजना का विकल्प देय है, उन वर्षो में यदि प्रान्त बाहर से आयात माल का अन्तरण किया जाता है, तभी 3 प्रतिशत की दर से समाधान राशि की देयता होगी किन्तु यदि समाधान योजना लागू होने अथवा पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें समाधान योजना का विकल्प चुना गया है, उन वर्षो में या उसके उपरान्त यदि किसी भी प्रोजेक्ट में प्रान्त बाहर से आयातित माल का अन्तरण नहीं किया जाता है तो एक प्रतिशत की दर से ही समाधान राशि की देयता होगी।

6- यदि आंशिक अथवा पूर्ण कार्य किसी उप संविदाकार को दिया जाता है तो इस संबंध में उप-संविदाकार को किये गये भुगतान में से अनुबन्ध की राशि को घटाने का कोई प्राविधान प्रश्नगत योजना में नहीं है अत: उप संविदाकार को किये गये भुगतान को अनुबन्ध की राशि में से घटाने का प्राविधान नहीं है।

7- यदि किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुबन्धकर्ता को उसी प्रोजेक्ट में कोई अन्य भवन/फ्लैट्स दिया जाता है और अनुबन्ध की राशि में कोई वृद्धि की जाती है तो इस बढ़ी हुई राशि पर समाधान राशि देय होगी।

8- यदि किसी भावी क्रेता (Prospective Buyer) द्वारा बुकिंग निरस्त कर दी जाती है तो उक्त निरस्तीकरण की तिथि तक भुगतान की गयी अनुबन्ध की राशि पर समाधान राशि की देयता होगी।

9- समाधान योजना लागू होने के पूर्ववर्ती वर्षो में से यदि किसी वर्ष के कर निर्धारण वाद से संबंधित अपील स्तर से वाद प्रतिप्रेषित किया गया हो अथवा धारा 32 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु खोला गया हो एवं उसका कर निर्धारण आदेश पारित न किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उस वर्ष से संबंधित अन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही लम्बित होने के कारण उनमें समाधान योजना अपनाने का विकल्प होगा।

10- वर्ष 2012-13 या उससे पूर्व से चल रहे प्रोजेक्ट, यदि समाधान योजना अपनाने वाले वित्तीय वर्ष में भी चल रहे हैं, तो उन वर्षो में प्राप्त भुगतान पर नियमानुसार समाधान राशि देय होगी।

11- प्रश्नगत समाधान योजना उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के विकल्प में रुप में लागू की गयी है। अत: जिन वस्तुओं पर प्रवेश कर की देयता है , उन पर नियमानुसार प्रवेश कर

की देयता होगी।

12- बिल्डर्स द्वारा क्रय की गयी, जिन वस्तुओं का अन्तरण न करके अन्यथा बिक्री की जाती है अथवा बचे माल अथवा उपयोग न किये गये माल , बचे हुए वेस्ट स्क्रैप आदि की जो बिक्री की जायेगी, उस पर नियमानुसार अलग से कर देयता होगी एवं इस प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के संबंध में नियमानुसार टैक्स / सेल इन्वायस जारी की जायेगी।

13- किसी भी प्रोजेक्ट के पूर्ण होने तक किये गये अनुबन्ध की समस्त धनराशि पर नियमानुसार समाधान राशि देय होगी तथा इस हेतु अधिकृत अथारिटी द्वारा जिस तिथि से प्रोजेक्ट पूर्ण माना जायेगा, वही तिथि प्रोजेक्ट के पूर्ण होने की तिथि मानी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

ह0- 11|5|16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

<u>पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।
(2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(4) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवँ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0।
(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश।
(11) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।
(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(14) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उत्तर प्रदेश।
(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0अआडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा।
(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।
(19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
(20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10प्रतियॉ में।
(21) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियॉ।
(22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(23) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ।
(24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(25) श्री राम किशोर अग्रवाल, सलाहकार वाणिज्य कर , उ0प्र0।

(26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
(27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
(28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
(30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
(31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
(32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
(33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
(34) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
(35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
(36) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से ।
(37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
(38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
(39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
(40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
(41) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(42) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
(43) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
(44) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
(45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
(46) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
(47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
(48) श्री आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
(49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
(50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ0प्र0 प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
(51) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर ।
(52) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
(56) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
(57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
(58) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
(59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , उ0प्र0, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
(60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
(61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
(62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
(64) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
(65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
(67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, ।

(68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।

(69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।

(70) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्व नगर (यू0पी0) ।

(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।

(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू0पी0 पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।

(74) अध्यक्ष , राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)

(75) अध्यक्ष, यू0पी0मोटर ट्रांसपोर्टस एसोसिएशन (रजि0) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।

(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू0पी0चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाम्बे बाजार , मेरठ ।

(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार ऐसोसिएशन (रजि0) गाजियाबाद

(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू0पी0शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टेन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ ।

(79) श्री मुकुल गुप्ता, नेशनल वायस प्रेसीडेन्ट, आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स ,आर - 13/24, राजनगर , गाजियाबाद ।

(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार , सेक्टर 62, नोएडा ।

(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष,/ महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर ।

(82) श्री संजय कुमार सिंघानिया, अध्यक्ष, चैम्बर आफ कामर्स, सिंघानिया भवन, हुमायुँपुर दक्षिणी दुर्गाबाड़ी रोड, गोरखपुर ।

(83) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ /जिला कार्यालय डी-120, सेक्टर 10, नोएडा ।

(84) श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, जनरल सेक्रेटरी, यू0पी0टैक्स बार एसोसिएशन, 5/45 Ordely Bazar, वाराणसी

(85) श्री अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष/कोर्डिनेटर, उ0प्र0 कर अधिवक्ता संगठन, 7, देवेन्द्रपुरी कालोनी, बांसमंडी, लखनऊ ।

(86) श्री वीरेन्द्र नाथ गुप्ता , सचिव, एसोसिएट चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज आफ यू0पी0 अलकनंदा इन्क्लेव, लौलाई, इन्दिरा कैनाल रोड सिकन्दर पुर खुर्द , निकट साई फार्म, चिनहट , लखनऊ ।

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश , लखनऊ